डा. सत्य नारायण जटिया : इसके लिए तो निश्चित रूप से अलग से कोई सूचना मिलेगी तो जरूर जवाब देंगे।

ST status to Pahari-Pathari Community of Kashmir

*284. SHRI MIRZA ABDUL RASHID : Will the Minister of TRIBAL AFFAIRS be pleased to refer to reply to Unstarred Question 2399 given in the Rajya Sabha on 13th August, 2001, and state :

(a) whether it is a fact that the proposal of conferment of ST status to Pahari-Pathari speaking people of J and K is fully processed and complete in all respect; and

(b) if so, by when Government will confer ST status to this Community?

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS (SHRI JUAL ORAM): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

SHRI MIRZA ABDUL RASHID : In the previous Session, the Minister had given a positive reply to my question. But in this Session, a negative reply has been given. I would like to say that a number of people reside on the Line of Actual Control. The whole of the area, right from Jammu-Akhnoor, Chhamjoria, Suder Bani, Nowshera, Rajouri, Poonch, Haji Peer, Uri, Karnah and Keren, is covered under the Line of Control. Right from Late Indiraji onwards, all the Prime Ministers had assured that these people will be declared as Scheduled Tribes. Last year, while addressing a large gathering at Karnah, the hon. Prime Minister, Shri Atal Behari Vajpayee, had announced that the status of Scheduled Tribe would confirmed on these people, without any further delay.The Prime Minister's Office had written a letter to the Tribal Minister on the 14th March, 2001. And the Ministry had indicated that they were awaiting the reply of the State Government of Jammu & Kashmir. Since the State Government's response is now available, it is requested that further comments of the Ministry on the letter may kindly be sent to the Prime Minister's Office immediately, for submission to the Prime Minister. I would like to know from the hon. Minister when they will be submitting this report to the PMO.

श्री जुएल उराम : सर, ट्राइबल कम्युनिटी में इन्क्लूड करने के लिए पांच विधि हैं, प्रिमिटिव ट्रेड्ज होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव कल्चर होना चाहिए, ज्योग्राफीकल आइसोलेशन होना चाहिए, नो साइन ऑफ कांटैक्ट विद द मेन पीपुल, यह अभी तक इस कम्युनिटी में नहीं है जिसके लिए माननीय सदस्य डिमांड कर रहे हैं। यह एक लिंग्युस्टिक ग्रुप है, पहाड़ी-पठारी स्पीकिंग लोगों

के लिए ट्राइबल की मान्यता दी जाए यह उनकी डिमांड है। हम बार-बार राज्य सरकार को लिखते हैं और इसमें अगर फर्दर इन्फर्मेशन मिलेगी तो उस पर विचार किया जाएगा। इस लिंग्युस्टिक कम्युनिटी में जाट भी हैं और उसके साथ दूसरी कम्युनिटीज़ ब्राह्मण सिख आदि भी हैं, इसलिए यह भाषा के आधार पर इनको ट्राइबल की मान्यता नहीं दी जा सकती है। अगर कोई डिस्टिंक्टिव कल्चर के हिसाब से या उसके लिए पांच का जो क्राइटीरिया है उसके हिसाब से राज्य सरकार अगर जानकारी देगी तो हम उसके लिए अवश्य विचार कर सकते हैं। राज्य सरकार केवल पत्र लिखती है कि इनको ट्राइबल किया जाए, लेकिन इस आधार पर नहीं हो सकता है। अगर माननीय सदस्य इसकी फर्दर जानकारी देंगे, जैसे कि गद्दी और बकरवाल कम्युनिटीज हैं, कम्युनिटी-वाइज़ अगर ऐसी कोई प्रोपोज़ल राज्य सरकार से आए तो उस पर विचार हो सकता है।

†**मिर्जा अब्दुल रशीद** : महोदय, जहां तक इनका ताल्लुक है तो दीज़ आर आल्सो ट्राइब्ज़ और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू-काश्मीर ने कई बार सर्वे करके बाकायदा इनको रेकमेंड किया है, वहां के गवर्नर साहब ने रेकमेंड किया है, जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उन्होंने माना है, आनरेबल मंत्री जी को इस केस की पूरी वाकफ़ियत नहीं है, मेरी इनसे गुजारिश है कि यह मुझसे डिसकस करें और मैं इनको समझाऊंगा कि ये उन ट्राइब्ज़ में आते हैं। वैसे क्राइटीरिया के हिसाब से तो गुज्जर और बकरवाल भी नहीं आ सकते थे परन्तु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज़ ए स्पेशल केस इनको किया है। मैं इनसे अपील करूंगा कि उसी आधार पर इन लोगों को भी जो कि उसी एरिया में रहते हैं जहां कि 20 परसेंट गुज्जर और बकरवाल रहते हैं जिनको कि इन्होंने किया है और यह अच्छी बात है, लेकिन जो 80 परसेंट लोग हैं उनमें काफी रिज़ेंटमेंट हैं।

MR. CHAIRMAN : Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Permission for Clinical Trials

*282. SHRI KHAN GHUFRAN ZAHIDI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Drug Controller General of India (DCGI) is using discretion in granting permissions for clinical trials, bio-equivalences and marketing permissions;

(b) whether it is also a fact that often there are variations in the decisions from company to company; and

---

†Transliteration of the speech in Persian Script is available in the Hindi version of the debate.